परिपत्र सं॰ 23/2017-सीमाशुल्क

फा. सं. 609/46/2017-ड्राबैक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

****

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त / आयुक्त,
(सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: जीएसटी के परिदृश्य में सीमा शुल्क**,** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रति अदायगी नियमावली**,** 1995 के नियम 6 और नियम 7 के अंतर्गत प्रति अदायगी की ब्रांड दर का निर्धारण

जैसा की आप जानते हैं कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 6 और नियम 7 की शर्तों के अनुसार, प्रति अदायगी की ब्रांड दर के निर्धारण संबंधी कार्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उन आयुक्तालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले उन कारख़ानों के संबंध में किया जाता है जिनमें निर्यात की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं । इस संबंध में ब्रांड दर के कार्य संबंधी प्रक्रिया को अधिशासित करने वाले बोर्ड के परिपत्र संख्या 14/2003-सीमा शुल्क दिनांक 6.3.2003, अ.शा. पत्र संख्या 609/110/2005-ड्राबैक दिनांक 26.8.2015, अनुदेश संख्या 603/ 01/2011-ड्राबैक दिनांक 11.10.2013, परिपत्र संख्या 29/2015-सीमा शुल्क दिनांक 16.11.2015 और परिपत्र संख्या 54/2016-सीमा शुल्क दिनांक 22.11.2016 का संदर्भ लिया जा सकता है । ऐसे आयुक्तालय द्वारा ब्रांड दर पत्र (अनंतिम अथवा अंतिम) के जारी कर दिए जाने के पश्चात्, निर्यात के संबंधित बंदरगाह द्वारा प्रति अदायगी की धनराशि की गणना और इसे निर्यातक को वितरित किया जाता है । माल और सेवाकर (जीएसटी**)** दिनांक 1.7.2017 से लागू किए जाने के संबंध में यह परिपत्र ब्रांड दर तंत्र में लाए जाने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है ।

2. जीएसटी व्यवस्था के दायरे में आने वाले करों के आगत कर प्रभाव को, जीएसटी कानूनों के माध्यम से सुलभ करवाए जाने वाले रिफंड तंत्र के माध्यम से निष्क्रिय बनाये जाना है । इसके साथ ही मौजूदा ड्यूटी प्रति अदायगी योजना को जारी रखते हुए और प्रति अदायगी नियमावली, 1995 को दिनांक 29.6.2017 की अधिसूचना संख्या 58/2017- सीमा शुल्क (गै.टै.) के अंतर्गत संशोधित करते हुए जीएसटी के लागू किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि अर्थात् 1.7.2017 से 30.9.2017 तक के संक्रमणकाल की व्यवस्था भी की गई है । इस संक्रमणकाल के दौरान किए गए निर्यात के संबंध में

निर्यातक, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर का अखिल औद्योगिक दर (एआईआर) या ब्रांड दर का प्रति अदायगी कतिपय अतिरिक्त शर्तोंके अध्यधीन कर सकता है । इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यातक निर्यात वस्तुओं पर अथवा निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली आगतों और आगत सेवाओं पर केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी) अथवा एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी) के आगत कर क्रेडिट का फायदा एक साथ न उठा सके अथवा निर्यात वस्तुओं पर अदा किए गए आईजीएसटी के रिफंड का दावा नहीं कर सके । इसके अलावा, ड्यूटी प्रति अदायगी के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इस संक्रमणकाल के दौरान प्रति अदायगी का दावा करने वाले निर्यातक, निर्यात वस्तुओं अथवा निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली आगतों अथवा आगत सेवाओं पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की शर्तों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट को आगे भी नहीं ले जा पायेगा । निर्यातक को प्रति अदायगी की ब्रांड दर के निर्धारण के संबंध में आवेदन करने के समय निर्धारित घोषणा करनी होगी और प्रमाणपत्र देना होगा (संक्रमण अवधि के दौरान संयुक्त एआईआर का दावा करने के लिए अधिसूचना संख्या 59/2017- सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 29.6.2017 में निर्धारित घोषणा और प्रमाण पत्र के समान) । साथ ही, निर्यातक के पास सीमा शुल्क और बचे हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में दिए गए सामानों के संबंध में) के ब्रांड दर का दावा करने का विकल्प है और वह सीजीएसटी या आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ या निर्यात पर भुगतान किया गया आईजीएसटी का रिफंड ले सकता है ।

3. इसके अलावा, जीएसीटी को लागू किए जाने के मद्देनजर, बोर्ड ने सीमा शुल्क के उन कार्यों को पुनर्गठित किए जाने का निर्णय लिया है जो अब तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों द्वारा किए जा रहे थे। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.7.2017 से, ब्रांड दर निर्धारण संबंधी कार्य उस सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा किया जाएगा जिनकी निर्यात के उस स्थान पर अधिकारिता है जहां से वस्तुओं का निर्यात किया गया है। यदि निर्यात एक से अधिक स्थान से किया जाता है तो निर्यातक उस प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क को ब्रांड दर का आवेदन दायर करेगा जिसकी निर्यात के किसी भी एक स्थान पर अधिकारिता है। तदनुसार, उपर्युक्त नियम 6 और 7 को दिनांक 29.6.2017 की अधिसूचना संख्या 58/2017- सीमा शुल्क (गै.टै.) के अंतर्गत उपर्युक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है।

4. ब्रांड दर निर्धारण के संबंध में आज की तारीख तक जारी सभी प्रपत्र/अनुदेश, जीएसटी परिदृश्य में अब सीमा शुल्क कार्यालयों द्वारा ब्रांड दरों के निर्धारण संबंध में किए जाने वाले कार्य पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तथापि आवेदन में दिए गए आंकड़ों के सत्यापन की यदि आवश्यकता होती है तो इसे उस सीमा शुल्क कार्यालय के माध्यम से करवाया जाएगा जिसकी उस फैक्ट्री पर अधिकारिता है जहां पर निर्यात वस्तुओं को निर्मित किया गया है।

5. 1.7.2017 से, प्रति अदायगी की ब्रांड दर के सभी नए आवेदनों, चाहे निर्यात की तारीख कुछ भी हो, पर इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाई की जाएगी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मौजूदा कार्यालयों के पास 1.7.2017 से पूर्व दायर आवेदनों और लंबित आवेदनों को सभी संगत दस्तावेजों सहित उस प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क को अंतरित कर दिया जाएगा जिसकी निर्यात के स्थान पर अधिकारिता है। यदि पहले से दायर कोई आवेदन कई स्थानों से किए गए निर्यात से संबंधित है तो आवेदन को

निर्यातक की पसंद के अनुसार उस प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क कों अंतरित किया जाना चाहिए जिसकी निर्यात के इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर अधिकारिता हो। आवेदन के अंतरण से पूर्व इस बारे में संबंधित निर्यातक को अपनी पसंद दर्शाने का अनुरोध किया जाए। ब्रांड दर संबंधी कार्य को सीमा शुल्क कार्यालयों के पास सहज रूप से स्थानांतरित करने के लिए यह जरूरी है कि कागजातों का सावधानीपूर्वक और सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ बिना किसी व्यवधान व विलंब आदि के स्थानांतरण किया जाए।

5.1 कुछ सीमाशुल्क कार्यालय वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे है। यह ध्यान में रखा जाये कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क के अधिकारी नामित किया गया है। तदनुसार, जब तक क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क आयुक्तालय, जो अब तक सीमाशुल्क के कार्यों को कर रहे केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों का स्थान लेंगे, अधिसूचित और कार्यात्मक हो जाते हैं, क्षेत्राधिकार प्राप्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के तहत आवश्यक सीमाशुल्क के कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

6. व्यापार जगत की जानकारी के लिए सार्वजनिक नोटिस और कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए स्थायी आदेश जारी किए जाएं।

7. ब्रांड दर निर्धारण कार्य को लागू करने में आने वाली समस्याओं अथवा कठिनाईयों को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है ।

भवदीय,

(नितीश कु. सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार